बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेषन
पशु आहार कारखाना, होटवार

पो0 नेऊरी विकास, रॉंची– 835217 (झारखण्ड)
दूरभाष– 0651–2275817 /9473199963

पत्रांकः प0अ0का0:विपणन:689 दिनांक 25.05.2018

सुधा

(सर्वोतम एंव संतुलित पशु आहार)

अधिकृत वितरकों की नियुक्ति हेतु सूचना

पशु आहार कारखाना, होटवार, रॉंची बिहार स्टेट को–ऑपरेटिव मिल्क प्रोडियूसर्स फेडरेषन लि0 की एक ईकाई है, जो पशु आहारो के उत्पादन में एक अग्रणी ईकाई है । बिहार स्टेट को–ऑपरेटिव मिल्क प्रोडियूसर्स फेडरेषन लि0 अपने उत्पाद ‘‘ सुधा ’’ ब्राण्ड के नाम से बाजारों में उपलब्ध कराती है ।

पशु आहार कारखाना, होटवार, रॉंची अपने ईकाई द्वारा उत्पादित सर्वोत्तम संतुलित ‘‘ सुपर सुधा ’’ ‘‘ सुधा गोल्ड ’’ एंव ‘‘ सुधा सिल्वर ’’ पशु आहारों की बिक्री हेतु झारखण्ड, छत्तीसगढ़, ओडिषा एंव पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रो के लिए लगनषील, मेहनती एंव आर्थिक रूप से सुदृढ़ इच्छुक पार्टियों से वितरक बनने हेतु आवेदन आमंत्रित करती है ।

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि – 20.06.2018 अप्राह्न 5.00 बजे तक ।
आवेदन खोलने की तिथि – 21.06.2018 पूर्वाह्न 11.30 बजे तक ।

विस्तृत जानकारी कार्यालय के अधिकृत वेवसाईट www.cfpran.com पर देखा जा सकता है अथवा उपरोक्त पते पर स्वंय या दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सकता है ।

प्राप्त प्रपत्र को बिना कारण बताये पूर्णतया या अंषतः रद्द/संषोधित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा ।

ह०/–
मुख्य कार्यपालक

बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेशन

Bihar State Milk Co-operative Federation

Cattle Feed Plant, Hotwar, Ranchi-835217 (Jharkhand)

<u>Phone No. (0651) 2275817,2901665.</u>

1. आवेदक का नामः ––––––––––––––––––––––––

2. आवेदक का पताः ––––––––––––––––––––––––

3. आवेदन तिथि :––––––––––––––––––––––––––

4. आवेदक का सम्पर्क
   दूरभाष एवं मोबाईल नं0:––––––––––––––––––––––

5. कार्य क्षेंत्र जिसके लिए
   आवेदन दिया गया हैः––––––––––––––––––––––––

अनुलग्नकः

1. निविदा प्रपत्र मूल्य 500/– बैंक ड्राफ्ट / प्राप्ति रसीद मूल प्रति में।
2. पैन कार्ड (स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति)।
3. गुडस एण्ड सर्विस टैक्स (GST) रजिस्ट्रेशन (स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति)।
4. निविदादाता का पत्रचार का पता (साक्ष्य सहित प्रति) ।
5. अंतिम एक साल ईन्कम टैक्स रिटर्न की अभिप्रमाणित छाया प्रति।
6. आवेदक का छः माह अद्धतन बैंक विवरणी संलग्न करें।
7. निविदादाता को किसी भी सरकारी व अन्य किसी संस्थान से काली सुची में नही डाला गया हो तथा उसपर किसी तरह का मुकदमा दायर न किया गया हो, का स्वअभिप्रमाणित किया गया विवरणी संलग्न करना अनिवार्य है।
8. अग्रधन राशि के रूप मे 10,000/– (दस हजार) का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करे)।

हस्ताक्षर

ऑफिस मुहर के साथ

बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेषन
Bihar State Milk Co-operative Federation
Cattle Feed Plant, Hotwar, Ranchi-835217 (Jharkhand)
Phone No. (0651) 2275817,2901665.

उत्पादित फीड विक्रय हेतु निविदा प्रपत्र

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटो चिपकायें

1. आवेदक का नाम ——————————————————————

2. आवेदक की स्थिति
   व्यक्तिगत/साझेदारी फर्म/कम्पनी ——————————————————————

3. शैक्षणिक योग्यता ——————————————————————

4. आवेदक का स्थायी पता ——————————————————————
   ——————————————————————
   ——————————————————————

5. आवेदक का पत्राचार का पता ——————————————————————
   ——————————————————————
   ——————————————————————

6. आवेदक का दूरभाष व अधिकृत व्यक्ति का मोबाईल संख्या ——————————————

7. वर्तमान व्यवसाय का विवरण (यदि कोई हो) ——————————————————————
   ——————————————————————

8. संबंधित क्षेत्र का नाम व पता जिसके लिए
   आवेदन भरा गया है। ——————————————————————

9. व्यवसाय मे पूंजि लगाने की अनुमानित राशि ——————————————————————
   (वित्तीय स्थिति से संबंधित छः माह का अद्धतन बैंक विवरणी संलग्न करे)

10. पैन संख्या ——————————————————————
   (प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करे)

11. फर्म का जी.एस.टी. संख्या --
(प्रमाण पत्र का स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करे)

12. पिछले एक वर्ष का अद्धतन आयकर रिर्टन ---------------------------------
(दस्तावेज का स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करे)

13. संबंधित बैंक का नाम व पता जिसमे आपका अकाउंट हो -------------------------

14. निविदादाता को किसी भी सरकारी व अन्य किसी संस्थान से काली सुची में नही डाला गया हो तथा उसपर किसी तरह का मुकदमा दायर न किया गया हो, का स्वअभिप्रमाणित किया गया विवरणी संलग्न करना अनिवार्य है। -------------------------

15. पशु आहार विक्री का अनुभव --
(संम्बंधित दस्तावेज की छाया प्रति संलग्न करे)

16. आधारभूत संरचनाः
भण्डारण स्थान का पता ---
भण्डार स्थल का क्षेत्रफल (वर्ग फिट मे) ------------------------------------
भण्डारण क्षमता (मे0 टन में) ---
परिवहन हेतु डिलिवरी वैन की विवरणी ------------------------------------

17. व्यवसाय के लिए प्रस्तावित कर्मचारियो / सेल्स मैन की विवरणी :
क. संख्या ----- ख. योग्यता ----- ग. अनुभव -----

18. अग्रधन की राशि के मद मे ड्राफ्ट संख्या ------ – – – दिनांक – – – – –
राशि रू ---
राष्ट्रीयकृत बैंक / अनुसुचित बैंक / शाखा का नाम – – – – – – – – – संलग्न किया जा रहा है।

19. निविदा प्रपत्र की राशि के मद मे ड्राफ्ट संख्या / नगद प्राप्ति रसीद संख्या – – – – – – दिनांक – – – – – – राशि रू0 – – – – – – संलग्न किया जा रहा है।

20. पशु आहार / पॉल्ट्री फिड / पिग फिड कि अनुमानित मासिक ब्रिक्री टर्नओवर

	(रिटेल दुकानो की सं0)	(संस्थानों की स0)
1. सुपर सुधा	– – –	– – – –
2. सुधा गोल्ड	– – –	– – – –
3. सुधा सिल्वर	– – –	– – – –
4. पॉल्ट्री फिड	– – –	– – – –
5. पिग फिड	– – –	– – – –

आवश्यक शर्तः

निविदा प्रपत्र के कंडिका संख्या 8,9,10,11,12,14,18 एवं 19 मे निहित शर्त आवेदक को योग्य होने के लिए आवश्यक है। निविदा प्रपत्र मे अंकित कंडिका संख्या 16 एवं 17 के संम्बंध मे उपलब्ध आवश्यक योग्यता अगर निविदा भरते समय तक ना हो तो निविदादाता द्वारा कार्य आवंटन के अधिकतम 21 दिनो के अंदर उन्हें उपलब्ध कराना होगा जिसका भौतिक निरीक्षण के उपरांत एकरारनामा का संम्पादन करवाया जाएगा।

मै / हम घोषणा करता / करती हूॅं कि जो भी सूचना प्रपत्र मे अंकित की गयी है, वह हमारी जानकारी में सत्य है। अगर कभी भी उपर्युक्त अंकित जानकारी असत्य पायी जाती हैं, तो मेरी उम्मीदवारी बिना कारण स्वतः रद्द समझा जायेगा। उपरोक्त सभी सूचनाओ की सम्पुष्टि एवं मूल दस्तावेजों की भी जॉच की जा सकती है, जिसके लिए मैं किसी भी समय उपस्थित रहूॅगा / रहूॅगी।

स्थान : आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक : ऑफिस मुहर के साथ

बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेषन

Bihar State Milk Co-operative Federation

Cattle Feed Plant, Hotwar, Ranchi-835217 (Jharkhand)

Phone No. (0651) 2275817,2901665.

आवेदक हेतु आवष्यक दिषा निर्देष

1. आवेदनकर्ता प्रपत्र की शर्त्तों को भली–भांति पढ़कर एंव समझकर भरेंगें। अगर शर्तो के संबंधी कोई जानकारी/स्पष्टता प्राप्त करनी हो तो मुख्य कार्यपालक, पशु आहार कारखाना, रॉची के मोबाईल न0 9473199960/63 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
2. पूर्ण रूप से भरी गई प्रपत्र एंव अनुलग्नक ही स्वीकार की जायेगी । भरी गई फार्म एंव अंकित शर्तो के आधार पर निविदादाता का मुहर के साथ अपना हस्ताक्षर करना होगा।
3. यदि आवेदक प्रपत्र पशु आहार कारखाना के वेबसाईट से डाउन लोड करते है, तो भरी गयी प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र मुल्य 500.00 (पॉच सौ) रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो '' **बिहार स्टेट को–ऑपरेटिव मिल्क प्रोडयूसर्स फेडरेषन लिमिटेड ''** के नाम होगा तथा रॉची में भुगतेय होगा, संलग्न करें , अन्यथा उनकी निविदा अमान्य होगा ।
4. तकनीकि रूप से सफल निविदा के लिए
5. अनिवार्य अनुलग्नक :–

क) निविदा प्रपत्र मूल्य 500/– बैंक ड्राफ्ट/ प्राप्ति रसीद मूल प्रति में।

ख) पैन कार्ड की छाया प्रति (स्व प्रमाणित)।

ग) गुडस एण्ड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेषन की छाया प्रति (स्व प्रमाणित)।

ध) निविदादाता का पत्राचार का पता साक्ष्य–सहित (स्व प्रमाणित)।

ङ) निविदादाता को छः माह का अद्यतन बैंक विवरणी संलग्न करना है।

च) अंतिम एक साल का ईन्कम टैक्स रिटर्न की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति।

छ) निविदादाता को किसी भी सरकारी व अन्य किसी संस्थान से काली सुची में नही डाला गया हो तथा उसपर किसी तरह का मुकदमा दायर न किया गया हो, का स्वअभिप्रमाणित किया गया विवरणी संलग्न करना अनिवार्य है।

ज) अग्रधन राशि के रूप मे रू 10,000/– (दस हजार) का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करे।

बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेषन
Bihar State Milk Co-operative Federation
Cattle Feed Plant, Hotwar, Ranchi-835217 (Jharkhand)
Phone No. (0651) 2275817,2901665.

निविदा की मुख्य शर्ते

01. प्रत्येक वितरक का क्षेत्र निर्धारित होगा। प्रत्येक जिला में वितरकों की कुल संख्या का निर्धारण उनकी नियुक्ति एंव निरस्त करने का अधिकार पशु आहार कारखाना, रॉची को सुरक्षित रहेगा। किसी वितरक क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण उस क्षेत्र की विक्री क्षमता व संभावनाओं के आधार पर किया जायेगा।
02. नियुक्त वितरकों को मात्रा का लक्ष्य का निर्धारण पशु आहार कारखाना, रॉची के द्वारा किया जायेगा, जिसे नियुक्त वितरकों को लक्ष्य प्राप्त करना आवष्यक होगा।
03. पशु आहार वितरण के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
04. नव नियुक्त वितरक को शुरूआत में कम से कम 10 मे0टन (सौ विंटल) प्रति माह पशु आहार बेचना होगा , जिसकी मात्रा धीरे–धीरे बढ़ाना होगा। क्षेत्र मे विक्री संभावनाओं के आधार पर इसकी शुरूआती निर्धारित मात्रा बढ़ाई भी जा सकती है।
05. नव नियुक्त वितरको को प्रारंभ में छः माह के लिए नियुक्त किया जायेगा। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए कार्य विस्तारण हेतु विचार किया जायेगा। नियुक्त वितरक अपनी वितरणषीप तीन माह के पूर्व सूचना के उपरान्त छोड़ सकते है।
06. पशु आहारों का मूल्य (एक्स–पशु आहार कारखाना, रॉची) के आधार पर निर्धारित किया जायेगा एंव वितरकों को दिये जाने वाले मार्जिन एंव अधिकतम खुदरा मुल्य (एम. आर. पी.) अलग से निर्धारित किये जायेंगें। आवष्यकता पड़ने पर इन मूल्य एंव मार्जिन का निर्धारण एंव इसमें आवष्यक संषोधन का अधिकार इस संस्था के पास सुरक्षित रहेगा। संषोधित दर वितरकों को मान्य होगा।
07. आहारो की बिक्री अधिकतम खुदरा मुल्य (एम. आर. पी.) से अधिक कीमत पर नही की जायेगी।
08. वितरक अपने क्षेत्रों तक आहारों की ढुलाई स्वंय के खर्च से करेंगें। आहार ढुलाई हेतु उपलब्ध कराये गये वाहनों पर क्षमता से अधिक लोड नही दिया जायेगा। आहार परिवहन हेतु उपयोग किये जा रहे वाहनों पर आहार ले जाते समय किसी भी प्रकार का अन्य माल का परिवहन करना वर्जित होगा।
09. पशु आहारो की आपूर्ति अग्रिम राषि के भुगतान के आलोक में ही की जा सकेगी। अग्रिम भुगतान नगद, चेक, बैंक ड्राफ्ट, आर.टी.जी.एस. या एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से किया जा सकता है।
10. वितरकों को हमारे ब्राण्ड के उत्पाद के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिस्पर्धी ब्राण्ड के उत्पाद का आहार का विक्रय नही करना होगा । ऐसा करते पाये जाने पर वितरकशिप रद्द कर दी जायेगी।
11. नियुक्त किये गये वितरक सुधा ब्राण्ड/संस्था के हित को ध्यान में रखते हुए कोई भी ऐसा कार्य जो सुधा ब्राण्ड/संस्था के हित को कुप्रभावित करता हो या व्यवसाय के निति के प्रतिकूल हो, नही करेंगें । ऐसा करते पाये जाने पर वितरकशिप रद्द कर दी जायेगी।
12. एक माह से अधिक पुराने हो चुके पशु आहारों की गुणवता में ह्रास की जिम्मेवारी पशु आहार कारखाना, रॉची की नही होगी। उपरोक्त अवधि मे यदि आहारों की गुणवता सम्बन्धी कोई षिकायत प्राप्त होती है तो उत्पाद/ विनिर्माण दोष का निवारण शीध्रता से किया जायेगा ।

13. सरकारी प्रक्षेत्रों , सहकारी समितियों में पशु आहारों की आपूर्ति पशु आहार कारखाना ,रॉची के द्वारा सीधे तौर पर किया जायेगा एंव इन आपूर्तित मालों पर उस सम्बन्धित क्षेत्र के वितरको को मार्जिन /कमिषन देय नही होगा ।
14. नियुक्त किये गये वितरक को आहारों के विक्रय से सम्बन्धित आवष्यक लाईसेंस /सर्टिफिकेट, वैधानिक प्रक्रिया एंव अन्य प्रावधानों का अनुपालन एंव समय–समय पर उनका नवीकरण का कार्य स्वंय करना होगा। इन मे किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर पशु आहार कारखाना,रॉची जिम्मेवार नही होगा। वितरक को अपने फर्म का वस्तु एंव सेवा कर (जी.एस.टी.) का निबंधन अनिवार्य कराना होगा। सम्बन्धित सरकारी विभाग से निर्गत निबन्धन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड तथा अतिंम एक साल ईन्कम टैक्स रिटर्न की अभिप्रमाणित छाया प्रतियों को संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।
15. प्रत्येक माह के अंत में या आवष्यकता पड़ने पर विक्रय किये गये आहारों की विवरणी या अन्य सम्बन्धित व्योरा पशु आहार कारखाना को मॉग के अनुरूप उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
16. कॉम्फेड/ पशु आहार कारखाना के द्वारा अधिकृत किये गये कर्मचारी /पदाधिकारी को मॉग किये जाने के उपरान्त खाता –बही, विक्री विवरणी, स्टॉक या अन्य सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा । आवष्यकता पड़ने पर जॉच के क्रम में मॉग किये जाने पर दस्तावेज/ विवरणी उपलब्ध नही कराये जाने पर या किसी प्रकार का असहयोग करने पर संस्था द्वारा वितरणशीप रद्द कर दी जायेगी ।
17. नियम व शर्तो में बदलाव होने कि दषा में लागू किये गये नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा । ऐसा नही करने की दषा में वितरकषीप रद्द कर दी जायेगी।
18. नियुक्त विक्रेता द्वारा अग्रधन राशि के रूप मे जमा रू 10,000.00 (दस हजार) बैंक ड्राफ्ट को जमानत राशि के तौर पर जमा कर लिया जाएगा जिसपर कोई व्याज देय नही होगा। वितरकशीप समाप्त/ रद्द होने की दषा में उक्त राषि को वापस कर दिया जाएगा। असफल निविदादाताओ का अग्रधन राशि अधिकतम 120 दिनो के अंदर चेक द्वारा वापस कर दिया जाएगा।
19. पशु आहारों को गुणवतापूर्ण बनाये रखने हेतु आहारो का भण्डारण उचित तरीके से करना होगा। भण्डारण करने हेतु आवष्यक मार्ग दर्षन संस्था के द्वारा मौखिक या लिखित रूप से दिया जायेगा, जिसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
20. वितरकों को अपने क्षेत्र में सप्लाई चेन बनाये रखने हेतु माल का पर्याप्त भण्डारण एंव उसे दुकानो तक पहुॅचाने हेतु पर्याप्त संख्या में गाड़ियों की व्यवस्था स्वंय के स्तर से करनी होगी।
21. वितरकों को सुधा ब्राण्ड के प्रमोषन को प्राथमिकता के आधार पर करना होगा।
22. किसी वितरक द्वारा किसी दूसरे वितरक के क्षेत्र में आहारो का विक्रय करते पाये जाने पर वितरणषीप रद्द कर दी जायेगी।
23. नियुक्त वितरक को 1000.00 (एक हजार रूपये) मात्र के नन जूडिसियल स्टैम्प पेपर पर वैधानिक रूप से एकरारनामा कार्यावंटन की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर सम्पन्न करना अनिवार्य होगा । एकरारनामा का .प्रपत्र पशु आहार कारखाना, रॉची से उपलब्ध कराया जायेगा।
24. ट्रक लोडिंग का कार्य पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक ही किया जायेगा ताकि अपराह्न 5. 00 बजे तक सभी लोड गाड़ियों का चालान/बिल आदि निर्गत किया जा सके।
25. नियुक्त वितरक जिन्हें कार्य आवंटित होगा उनके द्वारा या भेजी गई गाड़ी के चालक,खलासी या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा इस कारखाना को किसी प्रकार की क्षति पहुॅचाई जायेगी तो उसकी सारी जिम्मेवारी वितरक की होगी तथा उन्हें उसकी भरपाई करनी होगी ।

26. उत्पादित फीड के परिवहन के क्रम में आहारों के भींगे रूप में पाये जाने, बोरा के गिनती कम पाये जाने या किसी अन्य प्रकार की क्षति के लिये वितरक स्वंय जिम्मेवार होंगें ।
27. कार्य आवंटन का आदेष मुख्य कार्यपालक, पशु आहार कारखाना, रॉची के द्वारा निर्गत किया जाएगा तथा कार्य आवंटन के उपरान्त किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में पहले आपसी सहमति से विचार विमर्ष कर उसका निदान किया जायेगा । आपसी सहमति से निदान नही होने की स्थिति में प्रबन्ध निदेषक, कॉम्फेड, पटना द्वारा लिया गया निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
28. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र रॉची होगा।

उपरोक्त सभी शर्ते स्वीकार है।

आवेदक का हस्ताक्षर
(मुहर के साथ)